न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या–184 / 2021
आर.सी.एम.एस. नंबर 2021 / 184
गुरदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह आयु 84 वर्ष जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरमेल सिंह पुत्र स्व0 श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बसन्त कौर उर्फ सन्त कौर पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री करनैल सिंह निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. अजीत सिंह } पुत्रगण रामनाथ निवासीगण चक 32 एच, करणपुर, तहसील
4. बलदेव सिंह } करणपुर, जिला श्रीगंगानगर।
5. जसवीर कौर पत्नी गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पोडेंट

7. बलविन्द्र कौर पत्नी चेतन सिंह (पुत्री श्री गुरचरण सिंह) जाति जटसिख निवासी चक 2 केएसपी तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़, राजस्व वाद संख्या 220 / 2008 शीर्षक "गुरदेव सिंह आदि बनाम गुरमेल सिंह आदि जिसके अन्तर्गत वादपत्र वादी / अपीलाण्ट खारिज किया गया तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण डिक्री किया गया।

1. श्री भवानी सिंह निर्बाण व सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता ––अपीलाण्ट
2. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट सं0 1 व 5
3. श्री बलविन्द्र सिंह व संतोष सिंह अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट संख्या 4
4. श्री रविन्द्र सिंह कुमार भोबिया अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट संख्या 6
5. श्री विक्रम सिंह राठौड़ अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट संख्या 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

(2) अपील संख्या–187 / 2021

आर.सी.एम.एस. नंबर 2021 / 187

गुरदेव सिंह पुत्र गुरचरण सिंह आयु 84 वर्ष जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरमेल सिंह पुत्र स्व0 श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बसन्त कौर उर्फ सन्त कौर पत्नी सुखदेव सिंह पुत्री करनैल सिंह निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

..2

..2..

3. अजीत सिंह } पुत्रगण रामनाथ निवासीगण चक 32 एच, करणपुर, तहसील
4. बलदेव सिंह } करणपुर, जिला श्रीगंगानगर।
5. जसवीर कौर पत्नी गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——असल रेस्पोडेंट

7. बलविन्द्र कौर पत्नी चेतन सिंह (पुत्री श्री गुरचरण सिंह) जाति जटसिख निवासी चक 2 केएसपी तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

——तरतीबी रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अधिकारी नगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़, राजस्व वाद संख्या 220 / 2008 शीर्षक "गुरदेव सिंह आदि बनाम गुरमेल सिंह आदि जिसके अन्तर्गत काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 डिक्री किया गया।

1. श्री भवानी सिंह निर्बाण व सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता ——अपीलाण्ट
2. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता ——रेस्पोडेंट सं0 1 व 5
3. श्री बलविन्द्र सिंह व संतोष सिंह अधिवक्ता ——रेस्पोडेंट संख्या 4
4. श्री रविन्द्र सिंह कुमार भोबिया अधिवक्ता ——रेस्पोडेंट संख्या 6
5. श्री विक्रम सिंह राठौड़ अधिवक्ता ——रेस्पोडेंट संख्या 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिनांक : 11.XI.22

:: निर्णय ::

1. उक्त शीर्षक की दो अपीलें अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील संख्या 184/2021 अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री जिसके अन्तर्गत वादी/अपीलाण्ट का वादपत्र खारिज किये जाने के विरूद्ध व अपील संख्या 187/2021 अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री जिसके अन्तर्गत प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दोनों ही अपीलों में विचारणीय बिन्दू एक ही होने से इन दोनो अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी "गुरदेव सिंह आदि बनाम गुरमेल सिंह आदि" राजस्व वाद संख्या 220/2008 दिनांक 13.10.2008 को इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 51 एनजीसी के खाता संख्या 90/89 खाता हरदेव सिंह आदि में 1.518 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादीगण ने इस खाता में मृतक हरदेव सिंह व वादी संख्या 1 गुरदेव सिंह के नाम बहिस्सा बराबर 576 हिस्सा, मृतक करनैल सिंह के नाम 252 हिस्सा, अजीत सिंह–बलदेव सिंह प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के नाम 120 हिस्सा व प्रतिवादिया संख्या 5 जसवीर कौर के नाम 60 हिस्सा तथा सन्त कौर उर्फ बसंत कौर के नाम 100 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज होने का कथन कर हरदेव सिंह को लाऔलाद फौत होने व हरदेव सिंह के विधिक उत्तराधिकारी वादीगण ही बहिस्सा बराबर होने का उल्लेख करते हुए 576 हिस्सा में वादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा व वादिया सख्या 2 का 1/4 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा तद्नुसार खाता विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 ने संयुक्त रूप से जबाव दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने पृथक से जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जबावुल जबाव प्रस्तुत नहीं किया तथा दिनांक 02.02.2011 को काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का मौका बन्द किया। प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 16.05.2011 को जबाव दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जबावुल जबाव प्रस्तुत नहीं किया तथा दिनांक 24.10.2011 को काउन्टर क्लेम का जबाव प्रस्तुत करने का मौका बन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत जबाव दावा मय

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

काउण्टर क्लेम के अभिकथनों के अनुसार चक 51 एनजीसी के खाता संख्या 90/89 में दर्ज हिस्साकस्सी को गलत होना प्रकट करते हुए यह कथन किये कि स्व0 श्री जंगीर सिंह–स्व0 श्री बक्शीश सिंह व स्व0 श्री करनैल सिंह पिसरान हरनाम सिंह सगे भाई थे तथा उनकी रोही मौजा ज्वालासिंहवाला में दीगर हिस्सेदारों के साथ भूमि थी। यह खाता खसरा नम्बरों में लगभग 3856 हिस्सा अर्थात् 192 बीघा 16 बिस्वा का था। उपनिवेशन विभाग द्वारा मुरब्बाबंदी व चकबंदी करने के दौरान यह भूमि चक 27–28 व 30 एफटीपी में पैमूद हुई तथा अलग अलग पचौ खतौनी तैयार हुई लेकिन सभी पर्चा खतौनियों में हिस्सेदारों की हिस्साकस्सी यथावत् दर्ज रही। चक 28 एफटीपी में कुल 125 बीघा भूमि पत्थर नंबर 128/255 में 24 बीघा, पत्थर नंबर 126/255 में 24 बीघा 10 बिस्वा, पत्थर नंबर 126/256 में 24 बीघा व पत्थर नंबर 126/257 में 24 बीघा 5 बिस्वा तथा पत्थर नंबर 126/256 में 24 बीघा 5 बिस्वा व गैरमुमकिन 4 बीघा कुल 125 बीघा में पैमूद हुई। स्व0 श्री करनैल सिंह को मुताबिक घरू बंटवारा जिन खसरों में भूमि प्राप्त हुई, वे खसरा चक 28 एफटीपी में पैमूद हुये। स्व0 श्री करनैल सिंह ने अपने बंटवारा में प्राप्त अपने कब्जा काश्त की भूमि में से पत्थर नंबर 126/255 के किला नंबर 3 से 8, 13 से 15 कुल 9 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.04.1963 श्री अजीत सिंह–बलदेव सिंह–जगदेव सिंह पिसरान रामनाथ सैनी को बहिस्सा बराबर विक्रय की तथा राजस्व अभिलेख में उक्त वर्णित 9 बीघा अर्थात् 180 हिस्सा उक्त क्रेतागण के नाम दर्ज हुई। चक 28 एफटीपी का वर्तमान चक 51 एनजीसी है। कालान्तर में उक्त क्रेतागण में से श्री अजीत सिंह पुत्र श्री रामनाथ सैनी ने उक्त 9 बीघा भूमि में से अपने 1/3 हिस्सा अर्थात् 3 बीघा भूमि पत्थर नंबर 126/255 किला नंबर 13 से 15 कुल 3 बीघा भूमि का बैयनामा दिनांक 25.11.1971 को प्रतिवादिया संख्या 5 के पक्ष में निष्पादित व रजिस्टर्ड करवाया। प्रतिवादिया संख्या 5 द्वारा उक्त बैयनामा के अन्तर्गत खरीदशुदा उक्त 3 बीघा भूमि का खाता भी अलग हो चुका है तथा शेष 6 बीघा भूमि बलदेव सिंह व जगदेव सिंह की रही जो विवादित भूमि ही है। श्री जगदेव सिंह ने भी अपने हिस्सा की 3 बीघा भूमि पत्थर नंबर 126/255 किला नंबर 6–7–8 जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11.06.1979 प्रतिवादिया संख्या 5 को विक्रय कर दी तथा प्रतिवादिया संख्या 5 के नाम इस बैयनामा के आधार पर प्रश्नगत खाता में 60 हिस्सा का इन्तकाल दर्ज होकर चकबंदी में अंकन हो चुका है। प्रश्नगत 6 बीघा भूमि में उक्तानुसार पत्थर नंबर 126/255 किला नंबर 6, 7, 8 कुल 3 बीघा प्रतिवादिया संख्या 5 की एकल खातेदारी है व शेष भूमि पत्थर नंबर 126/255 किला नंबर 3, 4, 5 कुल 3 बीघा प्रतिवादी संख्या 4 की एकल खातेदारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 ने यह कथन भी किया कि जब खसरा नम्बरो से चकबंदी के दौरान चक 28 एफटीपी में जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि पैमूद हुई तो पर्चा खतौनी में समस्त हिस्सेदारों की हिस्साकस्सी यथावत् ही दर्ज रही है तथा उक्त गलत हिस्साकस्सी का इन्द्राज जमाबंदी में यथावत् आता रहा है जबकि वास्तविकता यह थी कि कुल 9 बीघा भूमि स्व0 श्री करनैल सिंह को बंटवारा में मिली हुई थी तथा उन्होनें दिनांक 25.04.1963 को यह भूमि अजीत सिंह–बलदेव सिंह व जगदेव सिंह पिसरान रामनाथ सैनी को विक्रय की व कालान्तर में अजीत सिंह व जगदेव सिंह ने अपने अपने हिस्सा की तीन–तीन बीघा भूमि प्रतिवादिया संख्या 5 को विक्रय कर दी। अजीत सिंह द्वारा विक्रय की गई 3 बीघा भूमि पत्थर नंबर 126/255 के किला नंबर 13 से 15 का खाता प्रतिवादिया संख्या 5 के नाम से अलग हो चुका है तथा श्री जगदेव सिंह द्वारा विक्रय की गई 3 बीघा भूमि पत्थर नंबर 126/255 किला नंबर 6, 7, 8 प्रतिवादिया संख्या 5 की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है व शेष भूमि पत्थर नंबर 126/255 किला नंबर 3 से 5 बलदेव सिंह की एकल खातेदारी भूमि है। वादीगण अथवा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 का उक्त वर्णित 6 बीघा भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। राजस्व अभिलेख में उक्त वर्णित 6 बीघा भूमि की हिस्साकस्सी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम गलत दर्ज है। प्रतिवादिया संख्या 5 ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए चक 51 एनजीसी के खाता संख्या 90/89 में वर्णित 1.518 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात् 3 बीघा भूमि की खातेदारी की घोषणा चाही है व इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 ने 1/2 हिस्सा अर्थात् 3 बीघा भूमि की खातेदारी की घोषणा चाही है तथा इस भूमि में प्रतिवादिया संख्या 5 ने अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि पत्थर नंबर 126/255 किला नंबर 6 से 8 का पृथक से खाता विभाजन करने व प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि पत्थर नंबर 126/255 किला नंबर 3 से 5 का पृथक से खाता विभाजन करने का निवेदन किया तथा वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि को विलोपित कर उसके स्थान पर "बलदेव सिंह पुत्र रामनाथ कौम सैनी निस्फ हिस्सा व जसवीर कौर पत्नी गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला निस्फ हिस्सा" की घोषणा चाही। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर तनकियात कायम की :–

1. आया हरदेव सिंह के नाम दर्ज आराजी की घोषणा वादीगण बहिस्सा बराबर पाने के अधिकारी है व कुल 576 हिस्सा आराजी में वादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है? ––वादीगण

2. आया वादीगण अच्छी मंदी अनुसार खाता विभाजन के अधिकारी है ? ––वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण सख्या 1 व 5 का मुताबिक अनुतोष घोषणा करवाने के अधिकारी है ––प्रतिवादीगण सख्या 1 व 5

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

(मुहर: राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.))

4. आया प्रतिवादी संख्या 5 विवादित आराजी पत्थर नंबर 126/255 किला नंबर 3, 4, 5 का खाता अलग करवाने का अधिकारी है? --प्रतिवादी संख्या 5

5. अनुतोष

4. वादीगण की ओर से अनेक अवसर प्राप्त करने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई व दिनांक 06.11.2015 को वादीगण की साक्ष्य बन्द की गई। दिनांक 27.03.2017 को प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में डी.डब्ल्यू. 1 व डी.डब्ल्यू. 2 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा वादीगण को जिरह का अवसर दिया गया लेकिन वादी अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी न होना प्रकट किया। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य में प्रदर्श ए-1 से ए-9 दस्तावेज पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउन्टर क्लेम के संबंध में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर दिनांक 18.07.2017 को निर्णय व डिक्री पारित कर वादपत्र वादीगण खारिज कर प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 का काउण्टर क्लेम डिक्री किया गया। इस निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2017 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 29.09.2021 व दिनांक 04.10.2021 को प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेंट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जबाव प्रस्तुत किया गया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि चक 51 एनजीसी जमाबंदी सम्वत् 2061 के खाता संख्या 90/89 में दर्ज 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि में अपीलाण्ट व मृतक हरदेव सिंह के नाम 576 हिस्सा कृषि भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज है। हरदेव सिंह लाऔलाद फौत हो चुका है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 7 हरदेव सिंह के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है। इस कारण उनका उपरोक्त 576 हिस्सा कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात् 288 हिस्सा व अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 7 का 144-144 हिस्सा है। इस प्रकार उपरोक्त 576 हिस्सा में अपीलाण्ट कुल 3/4 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 7 का 1/4 हिस्सा का हक है। अपीलाण्ट एक वृद्ध व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहता है। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 7 को हिदायत दी हुई थी कि उनका हर पेशी पर उपस्थित होकर आवश्यक नहीं है, जब भी आवश्यकता होगी, अपीलाण्ट को सूचित कर दिया जायेगा। अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में लगातार रहा लेकिन अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने न्यायालय में कार्यवाही हेतु सूचना नहीं दी। तत्पश्चात् दिनांक 17.04.2017 को अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट को सूचित किये बिना पत्रावली में पैरवी की हिदायत नहीं होना प्रकट किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी पैरवी की हिदायत न होने के आधार पर खारिज कर दिया जबकि दिनांक 17.04.2017 को प्रथमतः तो रेस्पोडेंट की ओर से गवाह उपस्थित नहीं थे, द्वितीयतः अधिवक्ता द्वारा पैरवी की हिदायत नहीं होने की स्थिति

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में अधीनस्थ न्यायालय को नोटिस जारी किये जाने चाहिये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस जारी नहीं किये। हरदेव सिंह अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट का सगा भाई था जो लाऔलाद फौत हो चुका है। रेस्पोडेंट संख्या 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.08.2010 को जबाव दावा प्रस्तुत किया व तत्पश्चात न्यायालय की अनुमति के बिना दिनांक 16.05.2011 को जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पुनः प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट संख्या 4 व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 5 के काउन्टर क्लेम में जंगीर सिंह–बक्शीश सिंह व करनैल सिंह तीनों भाईयों की लगभग 3856 हिस्सा अर्थात् 192 बीघा 16 बिस्वा भूमि होने व चकबंदी के दौरान यह भूमि 27, 28 व 30 एफटीपी में पैमूद होने तथा अलग अलग पर्चा खतौनी तैयार होने के कथन किये गये है तथा चक 28 एफटीपी की कुल 125 बीघा भूमि पत्थर नंबर 128 / 255, 126 / 255, 126 / 256, 126 / 257, 125 / 256 में पैमूद होने के कथन किये तथा ये कथन भी किये कि करनैल सिंह को घरू बंटवारा में जिन खसरों में भूमि प्राप्त हुई, वह चक 28 एफटीपी में पैमूद हुई। रेस्पोडेंट संख्या 1, 5 व 4 ने अपने जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम में पत्थर नंबर 126 / 255 के किला नंबर 3 से 8, 13 से 15 कुल 9 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.04.1963 अजीत सिंह–बलदेव सिंह –जगदेव सिंह पिसरान रामनाथ सैनी को बहिस्सा बराबर विक्रय करने के कथन किये है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने काउन्टर क्लेम में यह अनुतोष भी चाहा है कि उनका कब्जा प्रतिकूल हो चुका है। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि करनैल सिंह द्वारा विशिष्ट पत्थर नंबर व किला नंबरों से विक्रय की गई 9 बीघा भूमि के संबंध में घरू बंटवारा के तथ्य को साबित नहीं किया गया है तथा कब्जा के संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। करनैल सिंह को विशिष्ट किलो नंबरो का बैयनामा करवाने का अधिकार नहीं था तथा सांझा खाता में से विशिष्ट किलो का बैयनामा नहीं हो सकता व इस प्रकार बैयनामा दिनांक 25.04.1963 बिना अधिकारिता के है तथा इसी बैयनामा के आधार पर बैयनामा दिनांक 25.11.1971 के जरिये प्रतिवादिया संख्या 5 के पक्ष में 3 बीघा भूमि का विक्रय पत्र व बैयनामा दिनांक 11.06.1979 के अन्तर्गत प्रतिवादिया संख्या 5 के पक्ष में 3 बीघा भूमि का विक्रय पत्र भी बिना अधिकारिता के होने के कारण प्रारम्भतः ही शून्य दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन अवैध व अधिकारित रहित बैयनामों के आधार पर रेस्पोडेट संख्या 4 व 5 का काउन्टर क्लेम डिक्री करने में भूल की है तथा इस संयुक्त खाता में 576 हिस्सा भूमि का अपीलाण्ट व स्व0 श्री हरदेव सिंह का बहिस्सा बराबर का हक था। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट वृद्ध व बीमार रहने के कारण प्रत्येक पेशी पर नहीं आ सका तथा अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने भी हिदायत की हुई थी, कि जब भी आवश्यकता होगी, उसे सूचित कर दिया जावेगा। अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता के लगातार सम्पर्क में रहने के बावजूद अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने उसे

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय में उपस्थित आने के लिए कोई सूचना नहीं दी। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट को कोई सूचना दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरवी की हिदायत न होने का तथ्य अंकित कर दिया जबकि उनके द्वारा अपीलाण्ट को हिदायत पैरवी न करने से पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिये था। न्यायालय ने भी कोई नोटिस नहीं दिया। अपीलाण्ट जयपुर से ईलाज करवाता रहा और उसके पश्चात कोविड 19 के कारण समस्त अदालती कार्यवाही बाधित रही व लोकडाउन खुलने के पश्चात दिनांक 30.09.2021 को अपीलाण्ट की तबीयत के संबंध में हालचाल पूछने के लिए लोग आते रहे, उनकी बातो से अपीलाण्ट को पता चला कि अपीलाण्ट का वादपत्र निर्णीत हो चुका है, तब अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करना चाहता तो उनसे सम्पर्क नहीं हो पाया तब अपीलाण्ट ने जमाबंदी की नकल ली तो अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ तथा दिनांक 23.09.2021 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त कर उक्त अपील अविलम्ब प्रस्तुत की है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नहीं था। अपने इन तर्को के समर्थन में न्यायदृष्टान्त डीएनजे 2020 (1) पृष्ठ 265 राजस्थान उच्च न्यायालय व डीएनजे 2020 (1) पृष्ठ 331 राजस्थान उच्च न्यायालय प्रस्तुत किये।

7. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 5 तथा 4 ने गुणावगुणों पर बहस करने से पूर्व अपीलाण्ट की यह अपील सर्वथा मियाद बाहर होने की आपत्ति की तथा यह कथन किये कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने का अभिवाक् लेकर देरी को माफ करवाने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट शुरू से ही उदासीन रहा है तथा उसने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम का भी पर्याप्त अवसर लेने के उपरान्त जबावुल जबाव प्रस्तुत नहीं किया तथा दिनांक 02.02.2011 व दिनांक 24.10.2011 को उसका जबावुल जबाव प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की। तनकी कायम होने के बाद दिनांक 16.01.2014 को तनकी कायम होने के बाद अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 10 अवसर दिये गये व तत्पश्चात् दिनांक 09.01.2015 को 100 रूपया के हर्जाना पर व दिनांक 21.04.2015 को 200 रूपया के हर्जाना पर व दिनांक 25.08.2015 को 400 रूपया हर्जाना पर साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया व अन्ततः दिनांक 06.11.2015 को उसकी साक्ष्य बन्द की गई। अपीलाण्ट ने पर्याप्त अवसर प्राप्त होने के बावजूद अपने वादपत्र को साबित करने के लिए उपस्थित नहीं आया तथा उदासीनता बरती। यही नहीं अपितु प्रतिवादीगण की साक्ष्य के प्रक्रम पर भी अपीलाण्ट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अपीलाण्ट के इस कथन को मिथ्या होना बताया कि दिनांक 17.04.2017 को प्रतिवादीगण के गवाह उपस्थित न रहे हो बल्कि दिनांक 17.04.2017 को प्रतिवादीगण के गवाह उपस्थित थे तथा उनसे जिरह न कर अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नहीं होना जाहिर किया। अपीलाण्ट स्वयं उदासीन रहा है तथा उसने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य पुनः खुलवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है तथा ना ही आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के अन्तर्गत अपने वादपत्र को रेस्टोर करवाने हेतु दिलचस्पी रखी है व अब इस अपील में अपने अधिवक्ता पर दोषारोपण करते हुए अपनी यह अपील अन्दर मियाद ग्रहण करवाने का अधिकारी नहीं है। विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेंट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता पर दोषारोपण करते हुए अपनी लापरवाही को नहीं छिपा सकता तथा ऐसे लापरवाह व्यक्ति को विलम्ब से प्रस्तुत की गई अपील को अन्दर मियाद ग्रहण करवाने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्तागण ने न्यायदृष्टान्त आर.आर.टी. 2018 (1) पृष्ठ 188, आर.आर.टी. 2021 पृष्ठ 336 व आर.आर.टी. 2019 (1) पृष्ठ 221 के न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किये।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेंट ने यह तर्क दिया कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वादपत्र की पैरवी हेतु शुरू से लेकर अन्त तक सजग नहीं रहा है तथा इस मामला की परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए अपीलाण्ट देरी माफी का अधिकारी नहीं है। न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2018 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये सम्प्रेषण के अनुसार It is true that the law of procedure is hand maiden of justice and when the procedural technicalities and the substantial justice are pitted against each other, the later has to be preferred. But then, the matter always cannot be looked from one angle so as to condone the lapses on the part of erring litigant ignoring gross negligence on his part in dealing with the proceedings before the Court. The petitioners cannot be permitted to seek condonation of delay attributing negligence on the part of the counsel all the time. A litigant should be vigilant enough and should keep himself informed about the proceedings pending before the Court. It is to be noticed that in the first instance, the written statement filed on behalf of the petitioners belatedly was refused to be taken on record by the Trial Court. Thereafter, on account of non appearance on their behalf, the matter was procceded ex parte against the petitioners, however, no steps were taken by the

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

petitioners for setting aside the proceeding ex parte. Thus, it is apparent that the petitioners were not serious in pursuing the litigation pending before the Trial Court for all these years and never attempted to find out the progress of the case. Thus, on the facts and in the circumstances of the case, in the considered opinion of this Court, the petitioners have not been able to make out the sufficient cause so as to condone the inordinate delay of two and half years in filing the appeal. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनुसार अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं उदासीन रहा है तथा उसने अपने वादपत्र को साबित करने के लिए प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी के अलावा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से भी यह तथ्य प्रकट है कि उक्त जमाबंदी कुल 1.518 हैक्टेयर की है तथा इस जमाबंदी में दर्ज हिस्सा कस्सी 576 हिस्सा, 252 हिस्सा, 120 हिस्सा, 60 हिस्सा व 100 हिस्सा कुल 1108 हिस्सा कुल 55 बीघा 08 बिस्वा की है तथा अपीलाण्ट ने उक्त 1.518 हैक्टेयर में से 576 हिस्सा अर्थात् 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। वादीगण ने इस जमाबंदी से पूर्व के पुराने अभिलेखों को प्रस्तुत कर अपने वादपत्र के कथनों को किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 5 के काउंटर क्लेम में वर्णित तथ्यों के अनुसार कुल भूमि 3856 हिस्सा अर्थात् 192 बीघा 16 बिस्वा थी जो चकबंदी के दौरान चक 27, 28 व 30 एफटीपी में पैमूद हुई। रेस्पोडेंट ने चक 28 एफटीपी की जमाबंदी की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए 1 पेश की है जो 125 बीघा की है जिसमें करनैल सिंह पुत्र हरनाम सिंह का 432 हिस्सा अर्थात् 21 बीघा 12 बिस्वा है तथा उसने अपने उक्त हिस्सा में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 9 बीघा अर्थात् 180 हिस्सा भूमि प्रदर्श ए 3 के जरिये विक्रय की है। यह विक्रय पत्र विशिष्ट किलो का होने के बावजूद भी श्री करनैल सिंह के वैद्य हिस्सा की भूमि में से 9 बीघा भूमि विक्रय की गई है तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल प्रदर्श ए 4 अजीत सिंह–बलदेव सिंह व जगदेस सिंह पिसरान श्री रामनाथ सैनी के पक्ष में दर्ज व तस्दीक हुआ है व कालांतर में श्री अजीत सिंह ने दिनांक 25.11.1971 को पत्थर नंबर 126/255 के किला नंबर 13 से 15 रेस्पोडेंट जसवीर कौर को विक्रय किये है तथा इस 3 बीघा भूमि का खाता प्रदर्श ए 6 रेस्पोडेंट संख्या 5 जसवीर कौर के नाम अलग हुआ है तथा शेष 6 बीघा भूमि में से श्री जगदेव सिंह ने 3 बीघा भूमि पत्थर नंबर 126/255 किला नंबर 6, 7, 8 रेस्पोडेंट संख्या 5 जसवीर कौर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.06.1979 विक्रय की है तथा भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार की गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जमाबंदी में अजीत सिंह, बलदेव सिंह, जगदेव सिंह पिसरान रामनाथ सैनी का 180 हिस्सा दर्ज रहा है तथा प्रदर्श ए 6 के जरिये 3 बीघा का खाता अलग हो जाने से वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श ए 9 में अजीत सिंह व बलदेव सिंह पिसरान रामनाथ सैनी का 120 हिस्सा अर्थात् 1.518 हैक्टेयर दर्ज रहा है। भूप्रबंध विभाग ने इंतकाल प्रदर्श ए 4 अजीत सिंह, बलदेव सिंह व जगदेव सिंह के नाम 9 बीघा का दर्ज हो जाने के बावजूद खतौनी जमाबंदी प्रदर्श ए 7 तैयार की है जो उक्त इंतकाल के अनुरूप न होकर गलत हिस्साकस्सी दर्ज करते हुए कायम की गई है तथा इससे विसंगतियां उत्पन्न हुई है। वस्तुतः प्रदर्श ए 9 जमाबंदी में दर्ज 1.518 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 4 बलदेव सिंह व रेस्पोडेंट संख्या 5 जसवीर कौर की ही बहिस्सा बराबर की शेष रही है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य अनुसार प्रदर्श ए 9 जमाबंदी में रेस्पोडेंट संख्या 4 बलदेव सिंह का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 5 जसवीर कौर का 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने के कोई आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है तथा अपीलाण्ट की यह अपील न केवल मियाद बिन्दू पर अपितु गुणावगुणों पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र एवं दोनों अपीलें खारिज किये जाते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2017 की पुष्टि की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक-एक प्रति अपील की दोनो पत्रावलियों में रखी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 11.XI.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.XI.22

(करतार सिंह पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़